

लखनऊ जौन के अन्तर्गत

लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली एवं बाराबंकी में

व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग, सामुदायिक केन्द्र एवं संस्थागत भूखण्डों एवं दुकानों को नीलामी से लेने का

सुनहरी मौका

आवंटन/
नीलामी तिथि :
04.01.2013
समय: प्रातः
10:30 बजे

नीलामी स्थल : सहकारिता भवन, विधानसभा मार्ग, लखनऊ

'जहाँ है, जैसी है' के आधार पर नीलामी से निस्तारित होन वाली आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियाँ

नीलामी प्रक्रिया में सील्ड बिड का प्रारूप :- योजना/शहर का नाम..... सम्पत्ति की

संख्या व क्षेत्रफल..... आरक्षित मूल्य उच्चतम मूल्य आफर मूल्य मूल्य/दर (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं) टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु0 बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक नाम पिता/पति का नाम आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें) पत्र व्यवहार का पतादूरभाष/ मोबाइल नं0 ई-मेल आई0डी0 दिनांक/ स्थल/ नाम- पिता/पति का नाम-संस्थान/ फर्म/ कम्पनी का नाम पूरा पता

घोषणा पत्र का प्रारूप (आवेदन एवं सील्ड बिड दोनों के साथ नोटरी द्वारा

सत्यापन सहित आवश्यक) :- (1) मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, 'जैसी है, जहाँ है' के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। (2) मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम..... संबंधित शहर में कोई भवन/ भूखण्ड नहीं है एवं उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/ भूखण्ड नहीं हैं। (3) मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की वर्ष 2011-12 की समस्त स्रोतों से आय रु0..... से अधिक नहीं है। (4) मुझे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सभी अध्यावधिक प्रभावी नियम व शर्तें मान्य हैं।

दिनांक..... आवेदक के हस्ताक्षर

नियम एवं शर्तें :-(1) आवेदन/ सील्ड बिड फार्म संबंधित शहर/ योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध

कार्यालय से रु0 100/- जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। (2) सील्ड बिड/ ऑफर अंकित करते हुए रु0 100/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/ सील्ड बिड फार्म कार्यालय से अथवा उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से पूर्व (कार्य दिवस दिनांक 02.01.2013) तक संबंधित कार्यालय/ जौन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना आवश्यक है। (3) आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील्डबिड सम्बन्धित शहर/योजना के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जौन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है। (4) सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। (5) आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है, उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। (6) आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य के 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जो 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद' के पक्ष में सम्बन्धित शहर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन पत्र तथा सील्ड बिड दिनांक 02.01.2013 नीलामी से एक दिन पूर्व) सायं 5.00 बजे तक निम्नलिखित पतों पर प्राप्त हो जाने चाहिये अथवा नीलामी के दिन नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। (7) अपूर्ण एवं शर्तों आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। (8) सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में 'जहाँ है, जैसी है' के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। (9) सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/ विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा। (10) सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जौन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर Public Notice के अन्तर्गत देखी जा सकती है। (11) समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम व शर्तें प्रभावी होंगी। किसी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

नीलामी/सील्ड बिड फार्म प्राप्त/जमा करने के पते निम्नलिखित हैं :- (1) आम्रपाली

योजना, हरदोई रोड, लखनऊ। (2) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, आफिस काम्प्लेक्स, निकट भूतनाथ मंदिर, इन्दिरा नगर। (3) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, सेक्टर-8, विकास नगर, लखनऊ। (4) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, प्रह्लादपुरी योजना, हरदोई। (5) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, आफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ। (6) संयुक्त आवास आयुक्त कार्यालय, लखनऊ जौन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में केवल जमा किया जा सकता है।

आवास आयुक्त

व्यवसायिक सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल व0 मी0	आरक्षित दर (प्र0व0मी0)	एफ0ए0 आर0
-----------------	------------------	------------------------	-----------

वृन्दावन योजना

व्यवसायिक भूखण्ड-11 नग

5C/Com-08 C	1840.50	23408.00	1.75
5C/Com-09 C	1898.04	23408.00	1.75
12-A/CP-02	4516.05	19040.00	1.20
12-A/CP-03	4504.32	19040.00	1.20
12-A/CP-04 C	4957.93	20944.00	1.20
12-A/CP-05 C	900.00	20944.00	1.20
12-A/CP-06	661.12	19040.00	1.20
12-A/CP-08	648.82	19040.00	1.20
12-A/CP-09 C	866.83	20944.00	1.20
5E-1/Com-01 C	1121.25	23408.00	1.20
5E-1/Com-02 C	1195.60	23408.00	1.20

संस्थागत भूखण्ड-04 नग

2A/INS-1 C	1297.35	17556.00	1.5
2A/INS-2	1431.00	15960.00	1.5
2A/INS-4	1391.75	15960.00	1.5
14/IN-6 C	2293.77	15708.00	2.0

प्रीमियम भूखण्ड-05 नग

5E-1/PH-7	306.00	15960.00	1.5
5E-1/PH-8	301.75	15960.00	1.5
5E-4/PH-1 C	451.25	17556.00	1.5
5E-4/PH-4	390.75	15960.00	1.5
5E-4/PH-5 C	335.68	17556.00	1.5

आम्रपाली योजना, लखनऊ

व्यवसायिक भूखण्ड-03 नग

H-4/Com-5 C अनारक्षित	558.14	20944.00	1.20
H-5/Com-1/B C अनारक्षित	407.00	20944.00	1.75
E-3/Com-1 C अनारक्षित	2910.00	20944.00	1.20

प्रीमियम भूखण्ड-06 नग

H-4/PH-7 C अनारक्षित	887.38	15708.00	1.20
H-4/PH-8 अनारक्षित	975.00	14280.00	1.20
H-4/PH-9 अनारक्षित	1080.00	14280.00	1.20
H-4/PH-10 C अनारक्षित	1209.00	15708.00	1.20
H-5/PH-5 C अनारक्षित	980.48	15708.00	1.20
H-5/PH-6 C अनारक्षित	980.48	15708.00	1.20

सम्पत्ति संख्या

क्षेत्रफल

आरक्षित दर (प्र0व0मी0)

अनुमानित मूल्य लाख में

इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ

दुकानें-46 नग

S-2/24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36	3.39-25.22	2.63-19.35
S-3/31, 32, 33, 34, 35, 36	13.92-21.83	8.30-10.97
S-9/11, 14, 15, 16, 17, 18, 19	6.60-10.72	6.56-11.71
S-10/12, 13, 14, 15, 16, 17	6.45	7.14
S-11/11, 16	21.38	26.18
S-18/10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22	9.32-12.48	8.75-11.72
S-19/4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	16.89-24.57	13.73-19.97

राजाजीपुरम योजना, लखनऊ

चबूतरा 55/2 (01 नग)	4.00	4.11
यू0पी0आई0एल0 योजना दुकान संख्या एस-8	6.23	5.63

ओबरी योजना, बाराबंकी

कियारक K-1, 2 (02 नग)	4.00	2.73
दुकान-S-1 से 13 तक, 15, 16, 17 (16 नग)	9.28-12.21	6.33-8.33

इन्दिरा नगर योजना, रायबरेली

दुकानें-S-2, 3, 5, 6, 9 से 19 तक, 22 (16 नग)	12.34-14.46	7.28-8.91
--	-------------	-----------

पंचवटी योजना, सीतापुर

आफिस हाल (02 नग)	162.26 प्रति नग	34.68 प्रति हाल
------------------	-----------------	-----------------

प्रह्लादपुरी योजना, हरदोई

दुकानें-S-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 20 (11 नग)	9.54-10.76	7.35-8.66
---	------------	-----------

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	भवन का अनुमानित मूल्य (लाख में)/ मूँदि दर प्र0व0मी0 में
--------------------------	--------	--------------------------	---

आम्रपाली योजना, लखनऊ

उ0आ0वर्ग (106/162) फिनिरड E-6/545 GEN	1	162.00	35.55
उ0आ0वर्ग (106/162) फि0 E-6/558 OBC (C)	1	188.10	39.82
उ0आ0वर्ग (176/300) फि0 E-4/252 GEN	1	318.25	63.13

राजाजीपुरम योजना, लखनऊ

आवासीय भूखण्ड D-346/2 GEN	1	559.50	14336.00
आवासीय भूखण्ड D-220/2 GEN	1	304.46	14336.00
आवासीय भूखण्ड (कार्नर) D-564/1 SC	1	406.22	15770.00

शाहाबाद योजना, हरदोई

आवासीय भूखण्ड (कार्नर) A-423 GEN	1	388.62	4128.00
----------------------------------	---	--------	---------

इन्दिरानगर योजना, लखनऊ

एफ-30 (जी+2) प्रकार के भवन	F-30	
16/F-16 (G.F.) MP/MLA/FF	1	(G+2) 9.95
आवासीय भूखण्ड संख्या 21/430 OBC	1	221.10 15680.00

नोट : ● राजाजीपुरम योजना में भूखण्ड संख्या सी-2315/1, सी-2335/1 एवं सी-2291/1 का आरक्षण किया जायेगा।

परिषद से सम्बन्धित समस्या, हमसे कहें

डायल करें **1800-180-5333** (टोल-फ्री)
0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

website : <http://www.upavp.com> e-mail : upavp@sancharnet.in

